कार्यालय मुख्य अभियन्ता
आजमगढ़ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग
आजमगढ़

पत्रांक–3209 / 2 विविध / आ0क्षे0 / 2016 दिनांक–02 / 06 / 2016
सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र),
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर।

विषय– जनपद–जौनपुर में ग्राम–धर्मापुर, परगना–हवेली, तहसील–सदर, आराजी संख्या–30मि0, 42मि0 व 43मि0 पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– आपका पत्र संख्या–220(3) / व0शा0लि0–जौनपुर, दिनांक–13 मई, 2016।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने सन्दर्भित पत्र दिनांक–13 मई, 2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में अधीक्षण अभियन्ता, आजमगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, आजमगढ़ के पत्रांक–3774 / एन0ओ0सी0–आ0वृ0 / 2016 दिनांक–31.05.2016 द्वारा जनपद–जौनपुर में ग्राम–धर्मापुर, परगना–हवेली, तहसील–सदर, आराजी संख्या–30मि0, 42मि0 व 43मि0 पर *"आजमगढ़–जौनपुर राज्य मार्ग"* (रा0मा0सं0–66ए) के कि0मी0–58 (चैनेज 57.6385) के मध्य रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी आख्या / संस्तुति के आधार पर निम्न शर्तो एवं मानचित्र पर अंकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति पत्र निर्गत किया जाता है :–

1. उपरोक्त प्रस्तावित रिटेल आउटलेट जनपद–जौनपुर में ग्राम–धर्मापुर, परगना–हवेली, तहसील–सदर, आराजी संख्या–30मि0, 42मि0 व 43मि0 पर *"आजमगढ़–जौनपुर राज्य मार्ग"* (रा0मा0सं0–66ए) के कि0मी0–58 (चैनेज 57.6385) के मध्य रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु मानचित्र प्रस्तावित है।
2. मार्ग के लेपित सतह के मध्य बिन्दु से 22.86 मीटर (75 फीट) की दूरी तक कोई भी निर्माण कार्य न कराया जाय एवं उसके बाद ही प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापित किया जाय।
3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय मिट्टी का पटाव एवं सर्विस रोड आदि का निर्माण मार्ग की लेपित सतह से न्यूनतम 30 सेमी0 नीचा करना होगा, जिससे मार्ग की लेपित सतह पर जल जमाव न हो तथा रिटेल आउटलेट की तरफ 3 प्रतिशत का स्लोप रहना चाहिये।
4. पानी निकासी हेतु पक्का नाला एवं पुलिया का निर्माण, निर्माणकर्ता द्वारा ही मार्ग के लेपित सतह से नीचा करना होगा। कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व आउटलेट एवं पानी निकासी के लिये ले–आउट प्लान / ड्राइंग अनुमोदित करा ली जाय।
5. मार्ग के समानान्तर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की पूरी चौड़ाई में 1.00 मीटर की आर0सी0सी0 स्लैब के साथ नाली का निर्माण कराया जाय। यह मार्ग के लेपित सतह के मध्य बिन्दु से 22.86 मीटर (75 फीट) के बाद ही होना चाहिए।
6. बफर स्ट्रिप, टायलेट सेड एवं पोल आदि का निर्माण लेपित सतह के मध्य बिन्दु से 22.86 मीटर (75 फीट) की दूरी के बाद करना होगा।
7. रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग की न्यूनतम लेपित सतह चौड़ाई 5.50 मीटर तथा लेपित सतह के लिये न्यूनतम 150 एम0एम0 जी0एस0बी0 के ऊपर डब्लू0बी0एम0 / डब्लू0एम0एम0 की तीन लेयर प्रत्येक लेयर की मोटाई 75.00 एम0एम0 तथा टाप में 50.00 एम0एम0 बी0एम0 के साथ 25.00 एम0एम0 एस0डी0बी0सी0 की होनी चाहिए।
8. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय यू0पी0रोड सा0लै0कं0 एक्ट–1945 के अन्तर्गत निहित शर्तो का भी पालन करना होगा।
9. रिटेल आउटलेट से पूर्व 500 मीटर व 1.00 किमी0 इन्ट्री एवं एक्जिट बिन्दु पर आई0आर0सी0–67 व आई0आर0सी0–एस0पी0–55 के अनुरूप साईन बोर्ड का प्राविधान किया जाय।
10. किसी भी दशा में रिटेल आउटलेट स्थल से पानी की निकासी, मार्ग पर नहीं होना चाहिए। रिटेल आउटलेट परिसर के पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था करनी होगी।
11. प्रत्येक दशा में एम0ओ0एस0टी0, नई दिल्ली के पत्रांक–आर0डब्लू0 / एन0एच033023 / 19–99डी0ओ0–3 दिनांक–31.8.2000 द्वारा जारी मानकों का पालन किया जाय।
12. कोई भी निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की भूमि पर नहीं किया जायेगा तथा मानचित्र पर अंकित शर्तो का भी पालन करना होगा।

उपरोक्त शर्तो का पालन न करने पर रिटेल आउटलेट के अनापत्ति की संस्तुति निरस्त समझी जायेगी।
संलग्नक–मानचित्र एवं समस्त अभिलेख (मूल में)।

02/6/16

(आर0आर0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता
2/6/16

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियन्ता, आजमगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, आजमगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0, जौनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
आजमगढ़ क्षेत्र, लो0नि0वि0,
आजमगढ़

1. जनपद जौनपुर के ग्राम–धर्मापुर, परगना–हवेली में खसरा खाता सं0–487ए0/आराजी संख्या 30मि0, 42मि0, 43मि0 पर आजमगढ़– जौनपुर राज्य मार्ग (एस0एच–66ए0) के किमी0–58 (चै0 57.6385) में मार्ग के बायें तरफ भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, वाराणसी द्वारा रिटेल आउटलेट केन्द्र स्थापित करने हेतु मानचित्र प्रस्तावित है।

2. मार्ग के लेपित सतह के मध्य बिन्दु से 22.86 मी0 की दूरी तक कोई भी निर्माण कार्य न कराया जाय एवं उसके बाद ही प्रस्तावित रिटेल आउटलेट केन्द्र स्थापित किया जाय।

3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय मिट्टी का पटाव एवं सर्विस रोड आदि निर्माण मार्ग की लेपित सतह से न्यूनतम 30 से.मी. नीचा करना होगा, जिससे मार्ग के लेपित सतह पर जल जमाव न हो तथा रिटेल आउटलेट की तरफ 3 प्रतिशत का स्लोप होना चाहिए।

4. पानी निकासी हेतु पक्का नाला एवं पुलिया का निर्माण, निर्माण कर्ता द्वारा ही मार्ग के लेपित सतह से नीचा करना होगा। कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व आउटलेट एवं पानी निकासी के लिए ले आउट प्लान/ड्राइंग अनुमोदित करा ली जाय।

5. मार्ग के समानान्तर रिटेल आउटलेट की पूरी चौड़ाई में 1.00मी0 की आर0सी0सी0 स्लैब के साथ नाली का निर्माण कराया जाय। यह न्यूनतम मार्ग के लेपित सतह के मध्य बिन्दु से 22.86 मी0 (75 फीट) के बाद ही होना चाहिए।

6. बफर स्टिप, जो न्यूनतम 3.00 मी0 की चौड़ाई में तथा जिसकी न्यूनतम लम्बाई 12.00 मी0 हो। टायलेट शेड एवं पोल आदि का निर्माण लेपित सतह के मध्य बिन्दु से 22.86 मी0 की दूरी के बाद करना होगा।

7. रिटेल आउटलेट के पहुंच मार्ग की न्यूनतम लेपित सतह चौड़ाई 5.50मी0 तथा लेपित सतह के लिए न्यूनतम 150एम0एम0 जी0एस0बी0 के उपर डब्लू0बी0एम0/डब्लू0एम0एम0 की तीन लेयर प्रत्येक लेयर की मोटाई 75 एम0एम0 तथा टाप में 50 एम0एम0 बी0एम0 के साथ 25 एम0एम0 एस0डी0बी0सी0 की होनी चाहिए।

8. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय यू0पी0रोड सा0 लै0क0 एक्ट–1945 के अन्तर्गत निहित शर्तो का भी पालन करना होगा।

9. रिटेल आउट लेट से पूर्व 500मी0 व 1.00 किमी0 इन्ट्री एवं एक्जिट बिन्दु पर आई0आर0सी0–67 व आई0आर0सी0–एस0पी0–55 के अनुरूप साइन बोर्ड का प्राविधान किया जाय।

10. ज्वलनशील पदार्थों के भण्डारण एवं अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर के निर्माण कार्य करा लिया जाय।

11. किसी भी दशा में रिटेल आउटलेट स्थल से पानी का निकासी मार्ग पर नहीं होना चाहिए। रिटेल आउटलेट परिसर के पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था करनी होगी।

12. प्रत्येक दशा में एम0ओ0एस0टी0 नई दिल्ली के पत्रांक आर0डब्लू0/एन0एच0 33023/19/99 डी0ओ0–3 दिनांक 31.08.2000 द्वारा जारी मानको का अनुपालन किया जाय।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-02, लो0 नि0 विभाग
जौनपुर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लो० नि० वि०
जौनपुर